प्रेस विज्ञप्ति

12.07.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में 3.91 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति, बैंक में जमा राशि और नकदी को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। जांच से पता चला कि ये संपत्तियां सकतर सिंह उर्फ लड्डी और उनके विस्तारित परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत थीं, जो मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से प्राप्त आय से एकत्र की गई थीं।

ईडी ने पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज 03 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, धारा 17 पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 03.02.2023 को तहसील नौशेरन पन्नूआं के गांव शेरोन और नौशेरन पन्नुआन और तहसील तरनतारन के गांव बुघा में स्थित 10 परिसरों पर तलाशी कार्रवाई की गई। तलाशी के दौरान अपराध-संकेती दस्तावेजों के अलावा, नशीले पदार्थ और हथियार बरामद किए गए। एनसीबी अधिकारियों ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक अलग अपराध मामला दर्ज किया।

ईडी ने सकतर सिंह उर्फ लाड्डी को 04.07.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में है।

आगे की जांच जारी है।